# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 2714/2025**

डॉ. उमा शंकर शुक्ला

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 06.05.202
**सुनवाई की दिनांक** : 30.07.2025
**आदेश की दिनांक** : 30.07.2025

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

**समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 20–2–2014 द्वारा स्टेटिशियन सह असिस्टेट प्रोफेसर के पद पर पीएसएम विभाग झालावाड मेडिकल कॉलेज झालावाड में हुई। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने 01–01–2015 को स्टेटिशियन सह सहायक आचार्य पीएसएम विभाग के पद पर कार्यग्रहण किया। विभाग द्वारा दिनांक 28–12–2024 को प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक झालावाड मेडिकल कॉलेज झालावाड ने निदेशक, राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी जयपुर को झालावाड मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभागों में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा पदोन्नति हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों को अग्रेषित कर पत्र भेजा जिसमें 01–04–2024 को पदोन्नति हेतु योग्य चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत पदोन्नति प्रस्ताव वांछित दस्तावेजों सहित सूची अनुसार अग्रेषित किया गया। उक्त सूची में अपीलार्थी का नाम कमांक 9 पर अंकित है। (अनुलग्नक–4) दिनांक 10–2–2025 को राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी रूल्स 2022 के नियम 30 के अन्तर्गत गठित समिति की सिफारिश पर चिकित्सकों को नियम 32 के अन्तर्गत एसीपी/पदोन्नति का लाभ दिया गया लेकिन पूर्णरूप से योग्य होने के पश्चात भी

अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया गया जबकि दिनांक 28–12–2024 को जो योग्य अभ्यर्थियों के नाम झालावाड मेडिकल कॉलेज झालावाड द्वारा भेजे गये उसमें अपीलार्थी का नाम शामिल था। लेकिन 10–2–2025 के आदेश में शामिल नहीं किये जाने का कोई कारण उपलब्ध नहीं है फिर भी अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया गया। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी ने दिनांक 20–2–2025 को इस संबंध में प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, झालावाड मेडिकल कॉलेज झालावाड को उचित माध्यम से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज झालावाड ने निदेशक राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर को पत्र दिनांक 1–3–2025 द्वारा भिजवा दिया। (अनुलग्नक–5 व 6) इस संबंध में 18–3–2025 को प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, झालावाड मेडिकल कॉलेज झालावाड ने अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर को अपीलार्थी की पदोन्नति के संबंध में पत्र लिखा। जिसमें यह दर्शाया गया कि अपीलार्थी की पदोन्नति स्टेटिशियन कम सह आचार्य के पद पर की जा सकती है। (अनुलग्नक–7) पुनः विभाग द्वारा दिनांक 4–4–2025 (अनुलग्नक–2) को पदोन्नति की गयी लेकिन अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जो अनुचित व अवैध है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को एसीपी का लाभ देते हुए वे सभी लाभ दिये जावे, जो चुनौती आदेश दिनांक 10.02.2025 (अनुलग्नक–1) एवं चुनौती आदेश दिनांक 04.04.2025 (अनुलग्नक–2) द्वारा अन्य कार्मिकों को दिया गया है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के

नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(विकास सीतारामजी भाले)**
**अध्यक्ष**